रजिस्टर्ड नं० एल० 388

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, शुक्रवार, 19 अक्तूबर, 1973

आश्विन 27, 1895 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग-1

संख्या 3339/सत्रह-वि०—1/84-73

लखनऊ, 19 अक्तूबर, 1973

विज्ञप्ति

विविध

दिनांक 19 अक्तूबर, 1973 को अधिनियमित निम्नलिखित राष्ट्रपति अधिनियम को सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :—

उत्तर प्रदेश सिविल विधि (संशोधन) अधिनियम, 1973

(राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 19, 1973)

भारत गणराज्य के चौबीसवें वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा अधिनियमित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 तथा बंगाल, आगरा और आसाम सिविल न्यायालय अधिनियम, 1887 का, उत्तर प्रदेश को लागू किये जाने में, और उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये और बेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972 का और संशोधन करने के लिये

अधिनियम

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1973 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित करते हैं :—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।

1—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तर प्रदेश सिविल विधि (संशोधन) अधिनियम, 1973 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश पर है।

(3) यह धारा तुरन्त प्रवृत्त होगी, धारा 5 और 6, 1972 की जुलाई के 15वें दिन को प्रवृत्त समझी जाएगी और शेष धारायें, 1972 के सितम्बर के 20 वें दिन को प्रवृत्त समझी जाएंगी।

अध्याय 2

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में संशोधन

धारा 115 के स्थान पर नई धारा का रखा जाना।

2—सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् उक्त संहिता कहा गया है) की धारा 115, उत्तर प्रदेश को लागू किये जाने में वह जिस रूप में संशोधित है, के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाए, अर्थात्— 1908 का 5

"115—उच्च न्यायालय बीस हजार रुपये और उससे अधिक मूल्य के मूलवादों से, (जिनके अन्तर्गत 1972 के सितम्बर के 20वें दिन के पूर्व संस्थित ऐसे वाद भी हैं) उद्भूत होने वाले मामलों में, और जिला न्यायालय किसी अन्य मामले में, जिसके अन्तर्गत 1972 के सितम्बर के 20वें दिन के पूर्व संस्थित किसी मूलवाद से उद्भूत होने वाला मामला भी है, किसी भी ऐसे मामले के अभिलेख को मंगवा सकेगा, जिसका विनिश्चय, यथास्थिति, ऐसे उच्च न्यायालय या जिला न्यायालयों के अधीनस्थ किसी न्यायालय द्वारा किया गया है, और उसकी कोई अपील नहीं होती है और यदि यह प्रतीत हो कि ऐसे अधीनस्थ न्यायालय ने—

पुनरीक्षण

(क) ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो उसमें विधि द्वारा निहित नहीं है, अथवा

(ख) ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने में असफल रहा है जो ऐसे निहित है, अथवा

(ग) अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने में अवैध रूप से या तात्विक अनियमितता से कार्य किया है,

तो यथास्थिति, उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय उस मामले में ऐसा आदेश कर सकेगा, जैसा वह ठीक समझे:

परन्तु 1972 के सितम्बर के 20वें दिन के पूर्व विनिश्चित मामलों और जिला न्यायालय द्वारा विनिश्चित किसी मूल्य के मूलवादों से उद्भूत होने वाले सभी मामलों के सम्बन्ध में भी केवल उच्च न्यायालय इस धारा के अधीन आदेश करने के लिये सक्षम होगा।

प्रथम अनुसूची का संशोधन।

3—उक्त संहिता की प्रथम अनुसूची में, आदेश 50, नियम 1 के खण्ड (ख) में, "आदेश 15 नियम 4, के उतने भाग के सिवाय जितना निर्णय के तुरन्त सुनाये जाने के लिये उपबन्ध करता है" शब्दों और अंकों के स्थान पर "आदेश 15, नियम 4 के उतने भाग के सिवाय जितना निर्णय के तुरन्त सुनाये जाने के लिये उपबन्ध करता है और नियम 5" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

अध्याय 3

बंगाल, आगरा और आसाम सिविल न्यायालय अधिनियम, 1887 में संशोधन

धारा 25 का संशोधन।

4—बंगाल, आगरा और आसाम सिविल न्यायालय अधिनियम, 1887 की धारा 25 में उत्तर प्रदेश को लागू किये जाने में वह जिस रूप में संशोधित है, उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जायगी, अर्थात्—

"(4) जहां लघुवाद न्यायालय के न्यायाधीश की अधिकारिता किसी जिला न्यायाधीश या अपर जिला न्यायाधीश को इस धारा के अधीन अधिसूचना द्वारा प्रदत्त की गई है, वहां प्रांतीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम, 1887 की धारा 15 में किसी बात के होते हुए भी उपधारा (2) में निर्दिष्ट सभी वाद, लघुवाद न्यायालय द्वारा संज्ञेय होंगे"।

अध्याय 4

उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये और बेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972 में संशोधन

धारा 2 का संशोधन ।

5—उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये और बेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972 (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (ग), में "अभिप्रेत हों" शब्दों के पश्चात् "जहां ऐसी फैक्टरी का संयंत्र भवन के साथ पट्टे पर दिया गया है," शब्द अन्तःस्थापित किये जायंगे । 1972 का उत्तर प्रदेश अधिनियम 13

धारा 8 का संशोधन ।

6—मूल अधिनियम की धारा 8 में, उपधारा (1) में "उक्त धनराशि अवधारित करेगा" शब्दों के स्थान पर "ऐसे विवाद का अवधारण करेगा" शब्द रखे जायंगे ।

धारा 43 का संशोधन ।

7—मूल अधिनियम की धारा 43 में, उपधारा (2) में—

(i) खण्ड (य) में "या खण्ड (त)" अक्षर, शब्द और कोष्ठक का लोप किया जाएगा;

(ii) खण्ड (द) में "इस अधिनियम के प्रारम्भ होने" शब्दों के स्थान पर "उत्तर प्रदेश सिविल विधि संशोधन अधिनियम, 1972 के प्रारम्भ होने" शब्द और अंक रखे जाएंगे । 1972 का उत्तर प्रदेश अधिनियम 37

वराह गिरि वेंकट गिरि,
राष्ट्रपति ।

के० के० सुन्दरम्,
सचिव, भारत सरकार ।

अधिनियमन के कारण

20 सितम्बर, 1972 को उत्तर प्रदेश सिविल विधि संशोधन अधिनियम, 1972 प्रवृत्त हुआ था । इस अधिनियम द्वारा अन्य बातों के साथ सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 115 का संशोधन यह उपबन्ध करने के लिए किया गया था कि केवल जिला न्यायालय (और उच्च न्यायालय नहीं) 20,000 रुपए से कम मूल्य के वादों का पुनरीक्षण करने के लिए सक्षम हैं । उच्च न्यायालय ने एक पूर्णपीठ का गठन इस प्रश्न पर विचार करने के लिए किया है कि क्या धारा 115 में उपर्युक्त संशोधन ऐसे मामलों को भी लागू होगा जो 20 सितम्बर, 1972 से पूर्व विचारण न्यायालयों में संस्थित किए गए थे ? विधेयक के खण्ड 2 में प्रस्थापित संशोधन का उद्देश्य इस सम्बन्ध में विधिक स्थिति को स्पष्ट करना है ।

2—इसी प्रकार विधेयक के खण्ड 5 में प्रस्थापित संशोधन का उद्देश्य उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराए पर देने, किराए तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972 की धारा 2 (1) के खण्ड (ग) में अन्तर्विष्ट उस छूट देने वाले उपबन्ध के दुरुपयोग को रोकना है जो कारखाने के रूप में प्रयोग किए जा रहे या प्रयोग किए जाने के लिए आशयित भवन को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से अपवर्जित करता है । यह अभ्यावेदन किया गया है कि भू-स्वामियों से पट्टे पर दिए गए भवन में किराए दार द्वारा लगाए गए संयंत्रों के मामलों में छूट देने वाले उपबन्ध के आधार पर ऐसे फायदे का दावा किया है जिसके दिए जाने का आशय उनमें नहीं था । अतः यह प्रख्यापना है कि अधिनियम की उपधारा 2 (1) के खण्ड (ग) के अधीन छूट केवल उसी भवन को दी जानी चाहिए जो भू-स्वामी द्वारा उसमें लगाए गए संयंत्र के साथ पट्टे पर दिया गया हो अन्यथा ऐसी नहीं दी जानी चाहिए । धारा 2 (1) के खण्ड (ग) का जिस रीति में संशोधन किया जाना प्रख्यापित है उस रूप में संशोधन किए जाने के पश्चात् यह खण्ड धारा 2 (1) के खण्ड (घ) के विद्यमान उपबन्ध के अनुरूप हो जाएगा ।

3—इस अवसर पर सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की प्रथम अनुसूची के आदेश 50 में और बंगाल, आगरा तथा आसाम सिविल न्यायालय अधिनियम, 1887 की धारा 25 में, जिस रूप में कि वे उत्तर प्रदेश राज्य को लागू है, और उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराए पर देने, किराए तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972 की धारा 8 और 43 में कुछ अन्य पारिणामिक या स्पष्टीकारक संशोधन भी किए जा रहे हैं ।

4—उत्तर प्रदेश राज्य विधान-मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1973 (1973 का 33) की धारा 3 की उपधारा (2) के परन्तुक के अधीन गठित समिति से इस विधान को राष्ट्रपति के अधिनियम के रूप में अधिनियमित करने के लिए परामर्श कर लिया गया है ।

के० के० सुन्दरम्,
सचिव, भारत सरकार,
विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय,
(विधायी विभाग) ।

No. 3339(2)/XVII—V-1/84-73

Dated Lucknow, October 19, 1973

The following President's Act enacted on October 19, 1973, is published for general information :

12 of 1887

THE UTTAR PRADESH CIVIL LAWS (AMENDMENT) ACT, 1973
(PRESIDENT'S ACT NO. 19, 1973)

Enacted by the President of India in the Twenty-fourth Year of the Republic of India

AN

ACT

further to amend the Code of Civil Procedure, 1908, *and the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Act*, 1887 *in their application to Uttar Pradesh, and the Uttar Pradesh Urban Buildings (Regulation of Letting, Rent and Eviction) Act*, 1972.

IN exercise of the powers conferred by section 3 of the Uttar Pradesh State Legislature (Delegation of Powers) Act, 1973, the President is pleased to enact as follows:— 33 of 1973

U. P. Ac 13 of 197

CHAPTER I

Preliminary

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Civil Laws (Amendment) Act, 1973.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

(3) This section shall come into force at once, sections 5 and 6 shall be deemed to have come into force on the 15th day of July, 1972 and the remaining sections shall be deemed to have come into force on the 20th day of September, 1972.

CHAPTER II

Amendments to the Code of Civil Procedure, 1908

U. P. Act 3 of 1972,

Substitution of new section for section 115.

2. For section 115 of the Code of Civil Procedure, 1908, as amended in its application to Uttar Pradesh (hereinafter in this Chapter referred to as the said Code), the following section shall be *substituted* namely:— 5 of 1908

"115. The High Court in cases arising out of original suits of the value of rupees twenty thousand and above including such suits instituted before the 20th day of September, 1972, and the District Court in any other case, including a case arising out of an original suit instituted before the 20th day of September, 1972, may call for the record of any case which has been decided by any court subordinate to such High Court or District Court, as the case may be, and in which no appeal lies thereto, and if such subordinate court appears:— Revision

(*a*) to have exercised a jurisdiction not vested in it by law, or

(*b*) to have failed to exercise a jurisdiction so vested, or

(*c*) to have acted in the exercise of its jurisdiction illegally or with material irregularity,

the High Court or the District Court, as the case may be, may make such order in the case as it thinks fit :

Provided that in respect of cases decided before the 20th day of September, 1972, and also all cases arising out of original suits of any valuation decided by the District Court, the High Court alone shall be competent to make an order under this section."

Amendment of the First Schedule.

3. In the First Schedule to the said Code, in Order L, in rule 1, in clause (*b*) for the words and figures "Order XV, except so much of rule 4 as provides for the pronouncement at once of judgment", the words and figures "Order XV, except so much of rule 4 as provides for the pronouncement at once of judgment and rule 5" shall be *substituted*.

CHAPTER III

Amendments to the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Act, 1887

12 of 1887.

4. In section 25 of the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Act, 1887, as amended in its application to Uttar Pradesh, after sub-section (3), the following sub-section shall be *inserted*, namely :— Amendment of section 25.

"(4) Where the jurisdiction of a Judge of a Court of Small Causes is conferred upon any District Judge or Additional District Judge by notification under this section, then, notwithstanding anything contained in section 15 of the Provincial Small Cause Courts Act, 1887, all suits referred to in sub-section (2) shall be cognizable by Court of Small Causes."

CHAPTER IV

Amendments to the Uttar Pradesh Urban Buildings (Regulation of Letting, Rent and Eviction) Act, 1972

33 of 1973

U. P. Act 13 of 1972.

5. In section 2 of the the Uttar Pradesh Urban Buildings (Regulation of Letting, Rent and Eviction) Act, 1972 (hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act) in sub-section (1), in clause (*c*), after the words and figures "a factory within the meaning of the Factories Act, 1948", the words "where the plant of such factory is leased out along with the building" shall be *inserted*. Amendment of section 2.

6. In section 8 of the principal Act, in sub-section (1), for the words "determine such amount", the words "determine such dispute" shall be *substituted*. Amendment of section 8.

7. In section 43 of the principal Act, in sub-section (2)— Amendment of section 43.

(i) in clause (*q*), the words, brackets and letter "or clause (*p*)" shall be *omitted* ;

(ii) in clause (*r*), for the words "the commencement of this Act", the words and figures "the commencement of the Uttar Pradesh Civil Laws Amendment Act, 1972" shall be *substituted*.

U. P. Act 37 of 1972.

5 of 1908

V. V. GIRI,
President.

K. K. SUNDARAM,
Secretary to the Government of India.

REASONS FOR THE ENACTMENT

The Uttar Pradesh Civil Laws Amendment Act, 1972, which came into force on September 20, 1972, amended *inter alia* section 115 of the Code of Civil Procedure, 1908, so as to provide that in cases of suits valued below Rs. 20,000 the District Courts, alone (and not the High Court) shall be competent to entertain the revisions. A Full Bench has been constituted by the High Court to consider the question whether the aforesaid amended to section 115 would apply also in respect of cases instituted in the trial courts before September 20, 1972. The amendment proposed in clause 2 of the Bill is intended to clarify the legal position in this regard.

2. Similarly, the amendment proposed in clause 5 of the Bill is intended to prevent the abuse of the exempting provision contained in clause (*c*) of section 2(1) of the Uttar Pradesh Urban Building (Regulation of Letting, Rent and Eviction) Act, 1972, which excludes any building used or intended to be used as a factory from the operation of the said Act. It has been represented that landlords have claimed unintended benefit by invoking the exemption provision in cases where any plant is installed by a tenant in a building leased out by the landlord. It is, therefore, proposed that the exemption under clause (*c*) of section 2(1) of the Act should be applicable only where the building is leased by the landlord along with the plant installed therein and not otherwise. Clause (c) of section 2(1) after it is amended in the manner proposed would be in conformity with the existing provision in clause (*d*) of the said section 2(1).

3. Opportunity is also being taken to carry out some other amendments of consequential or clarificatory nature in Order L of the First Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908, and section 25 of the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Act, 1887, in their application to the State of Uttar Pradesh, and sections 8 and 43 of the Uttar Pradesh Urban Buildings (Regulation of Letting, Rent and Eviction) Act, 1972.

4. The Committee constituted under the proviso to sub-section (2) of section 3 of the Uttar Pradesh State Legislature (Delegation of Powers) Act, 1973, (33 of 1973) has been consulted before the enactment of this measure as a President's Act.

K. K. SUNDARAM,
Secretary to the Government of India,
Ministry of Law, Justice and Company Affairs
(*Legislative Department*).

आज्ञा से,
कैलाश नाथ गोयल,
सचिव।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—213 गजट (हि०)—1973— 2065+350+130(मे०)।